

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कासेडा

बनाम

अप्रार्थी- महेन्द्रा सिंह भास्करा सिंह निवासी कासेडा अन्तर्गत धारा 91 मूलजाय अर्द्धनिष्ठा 1950
हजारा सिंह
प्रकरण संख्या 71 / 2018 निर्णय दिनांक 16.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कासेडा ने अप्रार्थी के विरुद्ध पी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन्वत् 2075 में सरहद कासेडा के खसरा नम्बर 99 में किस्म जे.बु. रास्ता में से रकबा 0.16 हेक्ट. भूमि में बागरी लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तारतम्य अजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी महेन्द्रा सिंह भास्करा सिंह से नोटिस तामी होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री ने दिनांक 7 को उपस्थित होकर अबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम कासेडा खसरा नम्बर 99 में किस्म जे.बु. रास्ता में से रकबा 0.16 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जा रहा है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौक से बेदखल करने का अनुरोध प्रस्तुत किया जाता है। लगान दर 6/- रुपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमण रकबा 0.16 हेक्ट.भूमि के 0.96 रुपये लगान का 50 गुणा 48 /- अक्षर सप्तत्यस्र रुपये बतौर जुर्माना अर्पित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्थान लखाकर व पटवारी हल्का को अर्पित करने के लिये पसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को अवगत दिया जाता है कि अप्रार्थी को नाना न्यायिक न्याय से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

उप तहसीलदार पीलवा